

प्रेस नोट

दिनांक- 07.10.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, चोरी की धनराशि सहित मोटरसाइकिल व लोहे की बर्मा मशीन बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.10.2026 की रात्रि करीब 03:00 बजे थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत राम दयाल पुरवा के पास स्थित वादी नीरज पाण्डेय की स्ट्रींग की दुकान में दो व्यक्ति घुसकर उनकी पैंट की जेब में रखे ₹5,000/- चोरी कर भागने लगे। आहत होने पर वादी की नींद खुल गई और शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों की सहायता से दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया तथा उनके कब्जे से चोरी किए गए ₹5,000/- बरामद हुए। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम अखिलेश तिवारी एवं अब्दुल करीम बताया। दोनों मोटरसाइकिल संख्या UP43AQ8774 Honda Shine से आए थे, जिस पर एक अदद लोहे की बर्मा मशीन लदी हुई थी।

कार्यवाही-

वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना परसपुर पर अभियोग पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अखिलेश तिवारी पुत्र इन्द्र प्रकाश तिवारी, निवासी पूरे शिवाबख्तावर पुरवा, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
2. अब्दुल करीम पुत्र मो० नईम, निवासी दयानन्द नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु०अ०सं० 440/2026 धारा 331(4)/305A/317(2) बीएनएस, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

- चोरी की धनराशि ₹5,000/- (₹500 के 10 नोट)
- मोटरसाइकिल नं० UP43AQ8774 Honda Shine
- एक अदद लोहे की बर्मा मशीन

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 07.10.2026

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.10.2026 को वादी अनिल कुमार पुत्र हरिराम कनौजिया, निवासी रुदईपुरवा, मौजा खरगूपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गई कि हंसिया के विवाद को लेकर नाजमा उर्फ शहजाह पत्नी कल्लू, दिलदार पुत्र कल्लू एवं महफूज पुत्र कल्लू द्वारा वादी के पिता हरिराम के साथ मारपीट की गई तथा उनकी गर्दन दबाकर सिर को दीवार से टकराया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव करने पर वादी के साथ भी मारपीट की गई, जिससे उसे भी चोटें आईं। घायल हरिराम को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

कार्यवाही-

वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 952/2026 धारा 115(2), 109(1) बीएनएस एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दिनांक 07.10.2026 को अभियुक्तगण के घर पर दबिश दी गई, जहां तीनों अभियुक्त मौजूद मिले। पुलिस टीम द्वारा कारण गिरफ्तारी बताते हुए अभियुक्तगण को पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. नाजमा उर्फ शहजाह पत्नी कल्लू, निवासी ग्राम रुदईपुरवा, मौजा खरगूपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
2. दिलदार पुत्र कल्लू निवासी ग्राम रुदईपुरवा, मौजा खरगूपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
3. महफूज पुत्र कल्लू निवासी ग्राम रुदईपुरवा, मौजा खरगूपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 952/2026, धारा 115(2), 109(1) बीएनएस एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

- 01- उ0नि0 सन्त शरण यादव
- 02- का0 मो0 इस्माइल
- 03- का0 कुलदीप
- 04- म0का0 रक्षा वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 07.10.2026

Telegram पर Fake Investment, Job, Crypto एवं फर्जी Customer Care के नाम पर होने वाली साइबर ठगी से रहें सावधान — गोण्डा पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता अभियान चलाकर किया गया जागरूक

गोण्डा। अक्टूबर माह को साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाए जाने के क्रम में गोण्डा पुलिस द्वारा जनपद के समस्त 18 थानों में आमजन को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 07.10.2026 को “Telegram Fraud से सावधान रहें” विषय पर आमजन को Telegram के माध्यम से होने वाली साइबर ठगी के विभिन्न तरीकों एवं उनसे बचाव के उपायों के संबंध में जागरूक किया गया। गोण्डा पुलिस द्वारा बताया गया कि साइबर अपराधी Telegram पर Fake Investment/Trading Group बनाकर ठगी, Part-time Job/Task Scam, Fake Crypto/USDT Investment एवं Trading Scam, Betting/Gaming Scam, फर्जी Customer Care/Support Account तथा परिचित/अधिकारी के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फर्जी Loan, Prize/Reward के नाम पर ठगी तथा Telegram पर भेजे गए APK/Unknown Link के माध्यम से Malware/Account Compromise जैसी घटनाएं भी सामने आ सकती हैं।

साइबर ठगी से बचाव के उपाय

1. Telegram पर मिले अनजान व्यक्ति अथवा ग्रुप पर तुरंत भरोसा न करें।
2. निवेश में गारंटीड अथवा असामान्य मुनाफे के लालच से बचें।
3. किसी भी अनजान APK अथवा संदिग्ध लिंक को डाउनलोड/क्लिक न करें।
4. OTP, UPI PIN, Password एवं बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें।
5. Telegram पर **Two-Step Verification** अवश्य सक्रिय रखें।
6. संदिग्ध अकाउंट/ग्रुप को **Block एवं Report** करें।

गोण्डा पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई कि सोशल मीडिया एवं मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी का शिकार होने पर बिना समय गंवाए **1930** पर सूचना दें, जिससे ठगी की धनराशि को होल्ड कराने एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही में सहायता मिल सके।

मीडिया सेल गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सैनिक सम्मेलन एवं अपराध गोष्ठी आयोजित कर आगामी त्यौहारों की तैयारियों एवं अपराध नियंत्रण की समीक्षा की गयी-

गोण्डा। आज दिनांक 07-10-2026 को पुलिस लाइन गोण्डा के सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सैनिक सम्मेलन के दौरान पुलिसकर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी ली गयी तथा प्राप्त समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, अनुशासन एवं संवेदनशीलता के साथ करने तथा आमजन की शिकायतों एवं समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। सैनिक सम्मेलन के उपरान्त पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं संबंधित पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ अपराध गोष्ठी आयोजित की गयी। अपराध गोष्ठी में आगामी दशहरा एवं दुर्गा पूजा के दृष्टिगत जनपद में प्रतिमाओं की स्थापना, पूजा पण्डालों एवं विसर्जन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की थाना-वार समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्रों में दुर्गा पूजा समितियों, आयोजकों एवं स्थानीय सम्भ्रान्त व्यक्तियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित करें तथा संवेदनशील एवं चिन्हित स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, लगातार भ्रमण एवं सतर्क निगरानी रखी जाए। प्रतिमा विसर्जन के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, भीड़ नियंत्रण, संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्यवाही के लिए आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए थाना स्तर पर की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमित पैदल गश्त एवं क्षेत्र भ्रमण बढ़ाने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की प्रभावी चेकिंग करने, वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा अपराधियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। यक्ष ऐप पर की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को ऐप पर उपलब्ध सूचनाओं एवं प्रकरणों में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की गई तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान कराया जाए। लम्बित विशेष अपराधों की थाना-वार समीक्षा करते हुए सम्बन्धित विवेचकों द्वारा की जा रही कार्यवाही की प्रगति की जानकारी ली गई तथा लम्बित विवेचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुए साक्ष्यों का संकलन एवं नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अपहरण के अभियोगों में पीड़िताओं/अपहृताओं की बरामदगी की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को ऐसे प्रकरणों में विशेष संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्यवाही करते हुए शीघ्र बरामदगी सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक प्रकरण में प्रभावी विवेचना एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। हिस्ट्रीशीटों के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमों में चिन्हित अभियोगों की प्रभावी पैरवी की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने, अभियोगों की पैरवी से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख एवं साक्ष्य समय से प्रस्तुत कराने तथा हिस्ट्रीशीटों की वर्तमान गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न चिन्हित एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की स्थिति एवं प्रगति की समीक्षा की गई तथा आवश्यक स्थानों को सीसीटीवी कवरेज से आच्छादित करने एवं स्थापित कैमरों के सुचारू संचालन तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने थाना क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित प्रत्येक छोटी-बड़ी सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही करें, क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहें तथा आमजन से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्रसारित होने वाली भ्रामक अथवा अफवाहजनक सूचनाओं पर सतर्क निगरानी रखते हुए आवश्यकतानुसार तत्काल तथ्यात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्यौहारों को शांतिपूर्ण, सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपसी समन्वय एवं टीम भावना के साथ ड्यूटी करने तथा किसी भी परिस्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित न होने देने के निर्देश दिए। अपराध गोष्ठी के अन्त में पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि बैठक में दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी लम्बित प्रकरणों एवं चिन्हित बिन्दुओं पर अपेक्षित प्रगति लाएं तथा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, आमजन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण एवं कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।